

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 413/2025

1. अरुण पुत्र सज्जनसिंह

2. अश्विनी कुमार पुत्र सज्जन कुमार

3. प्रहलाद पुत्र कृष्णचन्द्र

जाति जाट निवासीयान सालीवाला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. कृष्णचन्द्र पुत्र धनराज

2. सज्जन कुमार पुत्र कृष्णचन्द्र

3. सुमेश पत्नी सुधीर कुमार पुत्री कृष्णचन्द्र

जाति जाट निवासीयान सालीवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।

सिरसा।

4. सुमित्रा पत्नी अंगद कुमार पुत्री कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी सहारणी तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/9/25


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री साहबराम कस्वा व प्रतिवादी वकील रूपराम कासिनिया अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी अरुण को प्राप्त आराजी:- चकनं० 19 एनजीसी बी के खाता सं० 8/19 में सज्जन कुमार के हिस्सा की 1/6 हिस्सा भूमि 0.253 है०, चकन० 3 एमकेएस के खाता सं० 9/19 में से सज्जन कुमार के 1/9 हिस्सा में से 0.507 है तथा इसी चक के खाता सं० 12/16 में से अश्विनी कुमार का 1/6 हिस्सा तथा सज्जन कुमार का 1/6 हिस्सा की भूमि कुल 1.518 है०, चकनं० 20 एनजीसी के खाता सं० 32/30 में कृष्णचन्द्र के हिस्सा मे से 0.8433 है० नाली मय गै०पु०, चकनं० 10 एसबीएन के खाता सं० 6/14 में से सज्जन कुमार का 1/3 हिस्सा में से 0.3245 हिस्सा, चक 1 एम.के.एस.बी. के खाता सं० 20/42 में कृष्ण कुमार के 1/3 हिस्सा यानि .6746 हिस्सा में से 0.449 है,

ख. वादीसं० 2 अश्विनी कुमार को प्राप्त आराजी-चकनं० 1 एनजीआर के खाता सं० 15/14 में दर्ज कुल 6.4770 है० में से कृष्ण 4529/6477 हिस्सा में से 2.278 चकनं० 1 एमकेएस.के.एस. के खाता सं० 20/22 में कुल 3.795 है० में से कृष्णचन्द्र का 1/3 हिस्सा मे से 1.265 है. चकनं० 1 एम.के.एस बी के खाता सं० 20/42 में अंकित कुल 2.024 है० आराजी मेंसे कृष्णचन्द्र के 1/3 हिस्सा में से 0.225 है०, चकनं० 20 एनजीसी

के खाता सं० 30/31 में अंकित कुल 1.771 है० आराजी में से कृष्णचन्द्र का समस्त 1/3 हिस्सा, चकनं० 20 एनजीसी के खाता सं० 32/30 में दर्ज कृष्णचन्द्र के नाम की कुल 2.783 है० में से 0.253 है०, चकनं० 10 एसबीएन के खाता सं० 6/14 में दर्ज कुल 1.948 है० आराजी में से प्रतिवादीसं० 2 सज्जन कुमार के 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 0.3245 हिस्सा, चक 19 एनजीसी बी के खाता सं० 8/19 में सज्जन के 1/6 हिस्सा में से 0.253 है०,

ग.वादीसं० 3 प्रहलाद को प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 एनजीआर के खाता सं० 15/14 में कुल 6.4770 है० में से कृष्ण 4529/6477 हिस्सा में से 2.251 है०, चकनं० 8 एस.बी. एन के खाता सं० 72/22 में कुल 1.265 है० आराजी में कृष्णचन्द्र का 169/1285 169/1285 हिस्सा, चक नं० 20 एनजीसी के खाता सं० 32/30 में अंकित कुल 2.783 है० में कृष्णचन्द्र के हिस्सा में से 1.6866 है०, चकनं० 3 एम.के.एस के खातासं० 9 में से अश्विनी के 1/9 हिस्सा यानि 0.534 है० व सज्जन के हिस्सा में से .026 है० इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 1 एनजीआर के खाता सं० 15/14, चकनं० 8 एसबीएन के खाता सं० 72/22, चकनं० 20 एनजीसी खाता सं० 32/30, इसी चक के खाता सं० 30/31, चकनं० 3 एम.के.एस खाता सं० 20/22 तथा चक नं० 1 एम.के.एस वी खाता सं० 20/42 से कृष्णचन्द्र का नाम कलमजन, चक नं० 3 एम.के.एस के खाता सं० 9/ 19, इसी चक के खाता सं० 12/16, चकनं० 10 एसबीएन के खाता सं० 6/14, चकनं० 19 एनजीसी बी के खाता सं० 8/19 से सज्जन कुमार का नाम कलमजन, चक नं० 3 एम.के.एस के खाता सं० 12/16 में से अश्विनी कुमार का नाम कलमजन व चकनं० 3 एम.के.एस के खाता सं० 9/19 में से अश्विनी कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/9/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिस्तायिण (R.A.S.)
राजस्व टिब्बी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

